

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in



सत्यमेष जयते

165/टीडी/2021

दिनांक : 08.12.2021

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

- संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-I अनुशंसित प्रदान करने के लिए आवेदन एसजेवीएनएल लिमिटेड, शक्ति सदन, कांपोरिट हेड क्वार्टर्स, शनन, शिमला-171006, हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोग के समक्ष किया गया है।
- एसजेवीएनएल लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुशंसित प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट www.SJVN.nic.in में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
- रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुशंसित प्रदान करने के लिए अर्हक है और दिनांक 06.12.2021 के आदेश द्वारा आयोग ने संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-I में अनुशंसित प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।
- नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेपण अनुशंसित प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई है, को उक्त पते पर 28.12.2021 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के द्वाद माप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग उचित समय पर अंतिम निपटान की तारीख तय करेगा और कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(सनोज कुमार झा)
सचिव